न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बलिया
जी.आर.सं0 – 2653/18
राज्य बनाम नाथो चौधरी

12/10/2020 अभियुक्त नाथो चौधरी, सरिता देवी, बिंदू देवी, की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता धनंजय कुमार के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से नवीन वकालतनामा साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। अभियोजन पदाधिकारी को भी आवेदन की प्रति व्हाट्स एप के द्वारा भेजा गया। आवेदन की सुनवाई हेतु दिनांक– 13/10/2020 को प्रस्तुत करें।

लेखापित

अ0 मु0 न्या0 दंडा0, बलिया

13/10/2020 दिनांक– 13/10/2020 को दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई आज नियत है। जमानत आवेदन को वीडियों कॉफ्रेसिंग के द्वारा प्रचालित किया गया। अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्तों निर्दोष है और आवेदक के द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया गया है। जिस तरह का मुकदमा किया है, मनगढंत एवं झूठा है। यह कि आवेदक के द्वारा बी.ए या ए.बी.ए इस वाद का आवेदन न तो श्रीमान् के न्यायालय में न ही अपर न्यायालय में दाखिल किया गया है। यह कि अभियुक्तों को गलत राजनीति के तहत फंसाया गया है। यह कि अभियुक्तों पर लगाये गये धाराएं– 504/34 भा0द0वि0 में संज्ञान लिया गया है, जो कि जमानतीय है। यह कि वाद की जानकारी जैसे ही हुई स्वेच्छा से न्यायालय में आत्समर्पण किये। यह कि अभियुक्तों भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। यह कि पुलिस के द्वारा जमानत के लिए बार–बार दबाव बनाने पर कोविड–19 महामारी को देखते हुए, अभियुक्तों न्यायालय में आत्मसमर्पण कर गए हैं। यह कि अभियुक्तों श्रीमान के द्वारा दिये गये निर्देशों को पालन करने को तैयार है। अतः अभियुक्तों को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

सुना, अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं। अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों का यह प्रथम उपस्थिति हैं। यह कि अभियुक्तों द्वारा धारा– 504/34 भा0द0वि0 में संज्ञान लिया गया हैं। जो कि सभी धाराएं जमानतीय हैं। यह कि वाद का स्थानांतरण बेगूसराय न्यायालय से बलिया न्यायालय आया। यह कि अभियुक्तों आज स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किए हैं।

अतः तथ्य और परिस्थतियों को देखते हुए कोरोना महामारी एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए। अभियुक्तों को मो0 5,000 (पॉच हजार रूपया) के एक जमानतदारों का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

अ0 मु0 न्या0 दंडा0, बलिया

तत्पश्चात्

13/10/2020 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त नाथो चौधरी, सरिता देवी, बिंदू देवी, से मांगे गए रकम का बंध पत्र एवं वचन बद्धता दाखिल किया गया। जिसे जांचोपरांत सही पाकर .... किया जाता है।

लेखापित

अ0 मु0 न्या0 दंडा0, बलिया